उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-511/ग्यारह-2-23-9(42)/17-टी.सी.66-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(274)-2023

लखनऊ; दिनांकः 24 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (साठवां संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (साठवां संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगी जैसाकि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।
नियम 8 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में, नियम 8 के उपनियम (4क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :- "(4क) जहां धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न आवेदक उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्यांक के अधिप्रमाणन के लिए विकल्प का चयन करता है, वहां उसे उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय आधार संख्या अधिप्रमाणित करानी होगी और ऐसे मामले में आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख, आधार संख्या अधिप्रमाणन की तारीख या उपनियम (4) के अधीन प्ररूप जीएसटीआरईजी-01 के भाग ख में आवेदन प्रस्तुत करने से पन्द्रह दिन पूर्व की तारीख, जो भी पहले हो, होगीः परंतु यह कि धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति, जिसने आधार संख्या अधिप्रमाणन का विकल्प ग्रहण किया हो और जिसकी पहचान डाटा विश्लेषण तथा जोखिम मानदंडों के आधार पर सामान्य पोर्टल पर की गई हो, द्वारा उपनियम(4) के अधीन कृत प्रत्येक आवेदन के साथ उसका बायोमैट्रिक आधारित आधार अधिप्रमाणन किया जायेगा

		और जहां आवेदक कोई व्यक्ति हो, वहां आवेदक का फोटो लेकर संलग्न किया जाएगा या धारा 25 की उपधारा (6ग) के अधीन यथा अधिसूचित आवेदक के संबंध में ऐसे व्यक्तियों का जहां आवेदक कोई व्यक्ति न हो, वहां इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्रों में से किसी एक सुविधा केन्द्र पर प्ररूप जीएसटी आरईजी-01 में आवेदन के साथ अपलोड किये गये दस्तावेजों की मूल प्रति के सत्यापन सहित फोटो लेकर संलग्न किया जायेगा और इस परंतुक के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात् ही आवेदन पूरा हुआ समझा जाएगा ।";

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव